तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर ... अहकाम हुक्म ... में ...
	मनन किया। अप्रार्थी सं॰1 ने अपने प्रार्थना-पत्र में मौके पर पूर्व से ही ग्रेवल सड़क बना होना बताया है। ग्रेवल सड़क पर पूर्व में ही सरकारी राशि खर्च की गई है एवं प्रथम दृष्टया ग्रेवल सड़क के रूप में रास्ता होना प्रकट होता है। अत: जवाब प्रार्थना-पत्र, साक्ष्यों व दोनो पक्षों की बहस के पश्चात् ही समस्त तथ्यों के मद्देनजर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना उचित है। प्रथम दृष्टया कोई अर्जेन्ट नेचर साबित नही है एवं पूर्व से ही ग्रेवल सड़क बनी हुई है। अत: न्यायालय अन्तरिम रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही मानता। अप्रार्थी सं॰ 4 ता 8 की तलबी जरिए सम्मन की जाकर तथा वास्ते जवाब टी॰आई॰ अप्रार्थी सं॰1 ता 3 पत्रावली दिनांक 22-05-2017 को पेश हो। पुनश्च: अप्रार्थी सं॰ 4,6,7 की तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है बावजूद सम्यक तामील उक्त अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया है। अत: उक्त अप्रार्थी सं॰4,6,7 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। शेष अप्रार्थी सं॰ 5 व 8 की तलबी पुन: सम्मन तलबाना पेश होने पर जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 22-05-2017 को पेश हो।	
22/05/17	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार पत्रिकार उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17.07.17 को पेश हो।	
17/07/17	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार पत्रिकार उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18.09.17 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	04/12/17 इकजाई पेशी से.	
	08.01.18	
	08/01/18	
	28.02.18	
	13/07/18 इकजाई पेशी से पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में कई बार आवाज लगवाई गई। वकील वादी अथवा पक्षकारान में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया। अतः प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

Scanned by CamScanner